

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम मय पद व पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री दिनेश चन्द कटारा, प्राध्यापक - हिन्दी (मूल पद-शिक्षा प्रसार अधिकारी) राउमावि हुल्याना, कटूमर जिला-अलवर	01.03.1961	28.02.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 25-2-2021

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/सेनि/एसडीआई/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 निदेशक,पेंशन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा।
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा
- 4 प्रधानाचार्य,राउमावि, हुल्याना (कटूमर), अलवर।
- 5 श्री दिनेश चन्द कटारा, प्राध्यापक-हिन्दी राउमावि, हुल्याना (कटूमर), अलवर मूल पद- शिक्षा प्रसार अधिकारी।
- 6 सिस्टम एनॉलिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,  
बीकानेर